संदेहात्मक जमाबन्दी अभिलेख संख्या–21/2013–14

राज्य बनाम द्वारिका तुरी।

आदेश

24.12.16

अपर समाहर्त्ता, कोडरमा के पत्रांक–1425/रा0 दिनांक 22.08.2016 से संदेहात्म जमाबन्दी अभिलेख संख्या–21/2015–16 अग्रतर कार्रवाई हेतु प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, कोडरम भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कोडरमा, अनुमंडल पदाधिकारी, कोडरमा एवं अपर समाहर्त्ता, कोडरमा द्वा आदेश फलक की पृ0सं0–01 से 09 पर अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन अंकित किया गया है।

प्रस्ताव के अनुसार, कोडरमा अंचल अन्तर्गत मौजा–कौवावर, थाना नं0–236, खा संख्या–92, प्लॉट नं0–325 एवं 659, रकवा (क्रमशः)–0.14 एवं 0.50 कुल–0.64 ए0 भूमि की पंजी– की पृष्ठ संख्या–110/1 पर द्वारिका तुरी पिता–बबन तुरी के नाम से जमाबन्दी कायम है। पंजी–II प्राधिकार कॉलम में बन्दोबस्ती वाद संख्या–02/1971–72 दर्ज है। प्रस्तावित भूमि गैरमजरूआ ख खाते की भूमि है।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कोडरमा द्वारा प्रतिवेदित किया है कि उक्त बन्दोबस्ती व 1973 के पूर्व का है, उस समय अनुमंडल कार्यालय, हजारीबाग था। अभिलेख में संलग्न पर्चा व सत्यापन हेतु भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कोडरमा के कार्यालय पत्रांक 80/रा0 दिनांक 06.04.15 से भू सुधार उपसमार्त्ता, हजारीबाग को भेजा गया था। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, हजारीबाग द्वारा पत्रां 586/रा0 दिनांक 13.05.15 से प्रतिवेदित किया है कि उनके कार्यालय में उपलब्ध बन्दोबस्ती पंजी रैयत का नाम एवं वाद संख्या अंकित नहीं पाया गया। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कोडरमा के कार्याल में भी उपलब्ध बन्दोबस्ती पंजी में भी संबंधित रैयत का नाम एवं वाद संख्या अंकित नहीं है। अंच अधिकारी, कोडरमा द्वारा संबंधित दावेदारों को नोटिस निर्गत कर सुनवाई किया गया। इस संबंध दावेदारों द्वारा जमाबन्दी कायम हाने का प्रर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। वर्णित तथ्यों प्रश्नगत जमाबन्दी संदेहात्मक प्रतीत होता है। समुचित साक्ष्य/कागजात के अभाव में रैयती मान्यता न दिया जा सकता है।

अंचल अधिकारी, कोडरमा, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कोडरमा, अनुमंडल पदाधिका कोडरमा एवं अपर समाहर्त्ता, कोडरमा द्वारा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची पत्रांक–2074/रा0 दिनांक 13.05.2016 के आलोक में बिहार (झारखण्ड) भूमि अधिनियम, 1950 धारा–4h के तहत प्रश्नगत जमाबन्दी को रद्द करने की अनुशंसा की गई है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि :–

1. माननीय न्यायालय से पूर्व में द्वारिका तुरी पिता–बबन तुरी, साकिन–कौवावर, अंचल–कोडर जिला–कोडरमा के नाम से इस आशय का कारण पृच्छा मांगा गया था कि मौजा–कौवा खाता नं0–92, प्लॉट नं0–325, 659 रकवा–0.64ए0 भूमि द्वारिका तुरी के नाम से कायम किन्तु जांच के क्रम में पाया गया है कि भूमि अनाबाद झारखण्ड सरकार/गैरमजरूआ ख खाते की है जिसके अवैध बन्दोबस्ती आपके नाम से हुई है।
2. बन्दोबस्तधारी द्वारिका तुरी की मृत्यु हो चुकी है। द्वारिका तुरी को एकमात्र पुत्र कृष्णा तुरी जिनकी भी मृत्यु हो चुकी है, कृष्णा तुरी को पांच पुत्र 1. शंभु तुरी, 2. सुनिल तुरी, 3. बिनो तुरी, 4. गोविन्द तुरी एवं 5. प्रदीप तुरी हुए जो इस वाद में पक्षकार बनाये गये है।

3. खाता नं0–92, प्लॉट नं0–325, 659 रकवा–0.64ए0 जमीन सरकारी पर्चा से द्वारिका तुरी को प्राप्त है जिसका हरिजन बन्दोबस्ती केस नं0–02/1971–72 है। पर्चा खो गया है।

4. बन्दोबस्ती मिलने के बाद सरकारी लगान रसीद भी द्वारिका तुरी के नाम से निर्गत हुआ। बन्दोबस्ती मिलने के बाद द्वारिका तुरी खास दखलकार हुए तथा उनकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र कृष्णा तुरी दखल कब्जा में आये। वर्त्तमान समय में कृष्णा तुरी के पांचों पुत्र दखल–कब्जा में है। उक्त जमीन पर छः इन्दिरा आवास है जिसमें पांचों पक्षकार रहते है साथ ही उक्त जमीन का समतलीकरण भी सरकार के द्वारा करवाया गया है।

उक्त आधार पर विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा द्वारिका तुरी के नाम से कायम जमाबन्दी को बरकरार रखने का अनुरोध किया गया है।

अंचल अधिकारी, कोडरमा के पत्रांक 1172 दिनांक 02.11.16 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है उक्त स्थल पर पुराना इंदिरा आवास निर्मित है। उक्त इन्दिरा आवास किसके नाम से आवंटित हुआ है यह ज्ञात नहीं हुआ। परंतु उक्त आवास में द्वारिका तुरी के पौत्र रह रहे है। स्थानीय जांच के क्रम में पाया गया कि उक्त इंदिरा आवास, रेलवे द्वारा अधियाचित भूमि, मौजा–कौवावर, थाना नं0–236 के खाता संख्या–92, प्लॉट नं0–659, रकवा–0.50 ए0 से बाहर है।

सरकारी अधिवक्ता, कोडरमा द्वारा बन्दोबस्तधारी के द्वारा पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण और अंचल अधिकारी, कोडरमा, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कोडरमा, अनुमंडल पदाधिकारी, कोडरमा एवं अपर समाहर्त्ता, कोडरमा की अनुशंसा के आलोक में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–2074/रा0 दिनांक 13.05.2016 के आलोक में बिहार (झारखण्ड) भूमि अधिनियम, 1950 की धारा–4h के तहत प्रश्नगत जमाबन्दी को रद्द करने की कार्रवाई को सरकार के हित में न्यायोचित बतलाया गया।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और अभिलेख में संलग्न प्रतिवेदनों एवं कागजातों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि मौजा–कौवावर, थाना नं0–236, खाता संख्या–92, प्लॉट नं0–325 एवं 659, रकबा (क्रमशः)–0.14 एवं 0.50 कुल–0.64 ए0 भूमि की कायम जमाबन्दी अवैध है। विपक्षी द्वारा बन्दीबस्ती संबंधित पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त बन्दोबस्ती का उल्लेख भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, हजारीबाग एवं भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, कोडरमा के कार्यालय में उपलब्ध बन्दोबस्ती पंजी में नहीं है।

अतः अंचल अधिकारी, कोडरमा, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कोडरमा, अनुमंडल पदाधिकारी, कोडरमा एवं अपर समाहर्त्ता, कोडरमा की अनुशंसा एवं सरकारी अधिवक्ता के विधिक मंतव्य के आलोक में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–2074/रा0 दिनांक 13.05.2016 के आलोक में बिहार (झारखण्ड) भूमि अधिनियम, 1950 की धारा–4h के तहत **प्रश्नगत** जमाबन्दी को रद्द की जाती है।

आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख आयुक्त उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग को आदेश की सम्पुष्टि हेतु भेंजे।

Details of Land:- मौजा–कौवावर, थाना नं0–236, खाता संख्या–92, प्लॉट नं0–325 एवं 659, रकबा (क्रमशः)–0.14 एवं 0.50 कुल–0.64 एकड़।

3/12

उपायुक्त
कोडरमा

लेखापित एवं संशोधित

2/12

उपायुक्त, कोडरमा।